



JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD
T.A. DIVISION BUILDING (GROUND FLOOR), H.E.C., DHURWA, RANCHI-834004
Phone :- 0651-2400852,2400851 Fax :- 0651-2400850: www.jspcb.org

पत्रांक. PC/NOC/HBG/06/2017/

राँची, दिनांक.....

प्रेषक,

एस० के० सुमन,
सदस्य सचिव।

सेवा में,

निदेशक
सूचना एवं जन संपर्क विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय: “M/s Patratu Super Thermal Power Project, Phase- I (3 x 800 MW), At- Patratu, Dist- Ramgarh, Jharkhand” का पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई स्थगित करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंग में अनुरोध है कि इस पक्ष से संबंधित संलग्न सूचना को निम्नलिखित स्थानीय समाचार पत्रों में जो रामगढ़ जिला में पढ़ा जा सके, दर्शाये गये तिथि के अनुसार प्रकाशन कराया जाय।

1. दैनिक जागरण, रामगढ़ संस्करण – एक दिन प्रकाशन तिथि 29.04.2017
2. दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली – एक दिन प्रकाशन तिथि 29.04.2017
एवं राँची राष्ट्रीय संस्करण

कृपया दर्शायी गई तिथि को (प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ को छोड़कर) 10cm x12cm में उपरोक्त दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय। विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात् विज्ञापित सामग्रियों की एक प्रति अभिलेख हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अनु० यथोपरि।

विश्वासभाजन,

ह०/—

(एस० के० सुमन)

सदस्य सचिव

ज्ञापक.. PC/NOC/HZB/06/2017/ B-1130

राँची, दिनांक... 27/4/17

प्रतिलिपि: लेखाशाखा, मुख्यालय राँची/वेबसाईट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस० के० सुमन)

सदस्य सचिव



JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD
T.A. DIVISION BUILDING (GROUND FLOOR), H.E.C., DHURWA, RANCHI-834004
Phone :- 0651-2400852,2400851 Fax :- 0651-2400850: www.jspcb.org

लोक सुनवाई की सूचना

M/s Patratu Super Thermal Power Project, Phase- I (3 x 800 MW), At- Patratu, Dist- Ramgarh, Jharkhand की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की तिथि दिनांक 31.05.2017 (दिन- बुधवार) को पूर्वाह्न 11.00 बजे **“Rajya Samposhit +2 Vidyalaya, Patratu, Ramgarh, Jharkhand ”** में निर्धारित की गई है।

उक्त परियोजना के सम्भावित प्रभाव से प्रभावित होने वाले लोगों/नागरिकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि लोक सुनवाई में उक्त तिथि, समय एवं स्थान पर आवश्यक रूप से भाग लें एवं अपने विचार से अवगत करावें। इसके अतिरिक्त वे अपना सुझाव, विचार, मंतव्य अथवा आपत्ति, यदि हो, तो लिखित रूप से सूचना उक्त लोक सुनवाई की तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, टी०ए० भवन, पोस्ट धुर्वा, राँची/जिले के उपायुक्त कार्यालय, रामगढ़ / पर्षद के क्षेत्रीय कार्यालय सह प्रयोगशाला, हजारीबाग में उपलब्ध करा दें।

निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार की आपत्ति/सुझाव पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा। लोक सुनवाई की प्रक्रिया पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की ई०आइ०ए० अधिसूचना संख्या एस०ओ० 1533 दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या एस०ओ०03067(ई०) दिनांक 01.12.09 के अनुरूप होगी।

यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त प्रोजेक्ट का ड्रॉफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा इसके सारांश की एक-एक हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ रखी रहेगी। साथ ही कार्यकारी सारांश भी इन कार्यालयों से ही प्राप्त किया जा सकता है।

1. उपायुक्त कार्यालय, रामगढ़ ।
2. जिला उद्योग केन्द्र, रामगढ़ ।
3. जिला पर्षद/नगर निकाय, रामगढ़ ।
4. मुख्यालय, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, टी०ए० भवन, पोस्ट धुर्वा, राँची ।
5. क्षेत्रीय कार्यालय, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, हजारीबाग ।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, (राँची) बंगला न० ए-2, श्यामली कॉलोनी, राँची - 834 002
7. संबंधित पंचायत ।
8. संबंधित प्रखण्ड विकास पदा०/अंचलाधिकारी कार्यालय ।

(एस० के० सुमन)
सदस्य सचिव